

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस० के० शतपथी
प्रधान सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड।

रॉची, दिनांक: २३-३-१२

विषय :- माँग संख्या-१२-वित्त विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-२०७०-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, लघु शीर्ष-८००- अन्य व्यय, उप शीर्ष-०८-विविध तथा आकस्मिक व्यय, विस्तृत शीर्ष-०६-अनुदान, ४६-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) विपत्र कोड-१२N2०७००८००८०६४६ के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०१२-१३ में व्यय हेतु प्राप्त राशि का उप-आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष २०१२-२०१३ में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष २०७०- अन्य प्रशासनिक सेवाएं, लघु शीर्ष-८००- अन्य व्यय, उप शीर्ष-०८-विविध तथा आकस्मिक व्यय, विस्तृत शीर्ष-०६-अनुदान, ४६-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन)/ १२N2०७००८००८०६४६ के अंतर्गत वित्त विभाग के पत्रांक-११/वी० टी०-०३/२०१२-१३ / १२२ बजट दिनांक-०९.०३.१३ से प्राप्त राशि को निम्न रूप में दर्शाये गये निम्नांकित कार्यालय को उप-आवंटित किया जाता है :-

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	विवरण	कुल आवंटन (लाख रु में)	अन्वयित
1	4	5	6	7
1	ग्रामीण विकास विभाग	स्व० कामेश्वर प्रसाद सिन्हा, तत्कालीन कनीय अभियंता ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल दुमका, जिनकी मृत्यु दिनांक २८.०८.२००९ को अपने कार्यस्थल से लौटने के क्रम में सङ्क दुघटना में हुई थी, की आश्रित विधवा पत्नी श्रीमती नीलम सिन्हा को अनुग्रह अनुदान की राशि के भुगतान हेतु।	10.00	

आवंटित राशि - ₹ दस लाख मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष २०१२-२०१३ में वित्त विभाग के आवंटन पत्रांक-१२२ बजट, दिनांक-०९.०३.१३ द्वारा प्राप्त राशि ₹ 10.00 (दस लाख) के अन्तर्गत है।
- निकासी व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी कर एवं नियमानुसार भुगतान कर अनुपालन प्रतिवेदन जल संसाधन विभाग/वित्त विभाग को अविलम्ब भेजेंगे।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक २५६१ वि. (२) दिनांक १७.०४.१९९८ एवं १८०० (वि.) दि. १५.०७.२००३ के आलोक में होगा।
- उप-आवंटित राशि का व्यय जल संसाधन विभाग द्वारा निर्गत स्वीकृत्यादेश सं०-३/विविध-७-२१/२०१२/६५६४ दिनांक-१४.११.१२ एवं वित्त विभाग द्वारा निर्गत आवंटन में अंकित शर्तों के अनुरूप किया जायेगा।
- राशि की निकासी निर्धारित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुरूप हो, यह सुनिश्चित किया जायेगा।

U.C.L
(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता

60
(जययप्रकाश भट्टाचार्य)
उप सचिव (अभि.)

मंडू
(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

मंडू
(वी. री. निगम)
विशेष सचिव
मंडू

7. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन/उपआवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रामाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से अन्य दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/संचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मर्दों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 28 मार्च 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु- 1. वित्त विभाग का आवंटनादेश

सं.-122 / दि.-09.03.13 की प्रति

2. जल संसाधन विभाग का पत्रांक-

3/विविध-7-21/2012/6564 दिनांक-14.11.12

लिखा
(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

झापांक :-

250

रॉची, दिनांक :- 23-3-13

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिन्दू रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरण्डा/दुमका सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु- 1. वित्त विभाग का आवंटनादेश

सं.-122 / दि.-09.03.13 की प्रति

2. जल संसाधन विभाग का पत्रांक-

3/विविध-7-21/2012/6564 दिनांक-14.11.12

लिखा
(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

झापांक :-

250

रॉची, दिनांक :- 23-3-13

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख -। एवं ॥ जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो०) रॉची/विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग/संयुक्त सचिव (अभि०)/उप सचिव (अभि०) जल संसाधन विभाग को पौच प्रति/प्रशास्या-7 को दस अंतिरिक्त प्रतियों में/साखियकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग/श्रीमती नीलम सिन्हा, स्व० कामेश्वर प्रसाद सिन्हा, तत्कालीन कनीय अभियंता ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल दुमका, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5146
(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता

65
(जयप्रकाश भट्टाचार्य)
उप सचिव (अभि०)

सुबोध कुमार सिन्हा
(संयुक्त सचिव (अभि०))

वी. सी. निगम
विशेष सचिव

लिखा
(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव